(५)

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी नगर (भरतपुर)

मि०नं०	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निर्णय केशमती बगै0 बनाम मिही लाल बगै0 किस्म मुकदमा : 212 आर0टी0एक्ट	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
02.16	आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी **केशमती बगै0**ने अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट के तहत अपने मूल दावा के साथ पेश किया । प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस बावत् करने स्थगन आदेश सुनी । प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे एवं अप्रार्थीगण **मिही लाल बगै0** को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक **21.03.2016** तक आ.ख.नं. 2348/0.60 वाके कस्बा नगर पर वादी की खातेदारी भूमि की रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखें ~~एवं निर्माण इत्यादि न करें~~। इस आदेश के जारी रहने में कोई आपत्ति हो तो इस न्यायालय में आप स्वंय अथवा अपने अभिभाषक द्वारा उपस्थित होकर पेश करें टी.आई. जारी हो । पत्रावली दिनांक **21.03.2016** को पेश हो । उपखण्ड अधिकारी नगर (भरतपुर) राज॰	
01.3.16	पत्रावली प्रतिलिपि ... के ... पेश हुई। ... इस प्रकरण में दिनांक 19.02.16 को जारी अंतरिम ... निरस्त की ... कार्यवाही ... जाती है। पत्रावली ... दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नगर (भरतपुर) राज॰	

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.05 15:55:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner